राजस्व वाद 274/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/...............
बंकटलाल बनाम् राधेश्याम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 274/2021

वादीगण–

1. बंकटलाल पुत्र राधेश्याम
   जाति–ब्राहमण, निवासी– भावला, तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राधेश्याम पुत्र मूलाराम
2. कुन्जबिहारी पुत्र राधेश्याम
3. जालाराम पुत्र राधेश्याम
4. सुशीला पुत्री राधेश्याम
5. रामकंवरी पुत्री राधेश्याम
   जातियान–ब्राहमण, निवासीगण–भावला, तहसील जायल, जिला–नागौर।
6. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा भावला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 3 सगे भाई, 4 से 5 इनकी बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री राधेश्याम की जाईन्दा संताने है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद के पैरा संख्या 2 व 5 के (1 से 4) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी बंकटलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर सबसे दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी कुन्जबिहारी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 0.9227 हैक्टैयर मध्य भाग व खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टैयर में से 0.6960 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3 जालाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हैक्टेयर में से 0.9227 हैक्टैयर उतरी भाग व खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टैयर में से 0.6960 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266 / 389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 1.3921 हैक्टैयर भाग नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 723 / 718 रकबा 0.1943 हैक्टैयर पूरा रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने दिनांक 14.12.2021 को जरिये अधिवक्ता ईकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं का सम्मन स्वंय तामिल होकर अप्राप्त है , जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 6 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह बंकटलाल पुत्र राधेश्याम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम भावला तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 323 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी ग्राम भावला तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 322 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब एवं वादपत्र में वर्णित पैराज एवं माफिक नजरीनक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा नजरीनक्शानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 14.12.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा भावला के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा भावला के खेत खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टेयर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के संयुक्त बंट में यथावत रखा गया है तथा शेष मुतदाविया खेत खसरा नंबर 266/389 व खसरा नंबर 264 की भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के मध्य हिस्से विशेष के रूप में जरिये ईकबाली जबाब एवं सहमति से चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजित नहीं हैं अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 266/389 व खसरा नंबर 264 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 14.12.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 14.12.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3223 दिनांक 4.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी बंकटलाल, राधेश्याम, जालाराम, कौशल्या ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का भावला एवं भू.अभि. निरीक्षक लूणसरा की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा भावला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

राजस्व वाद 274/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/ ....
बंकटलाल बनाम् राधेश्याम वगैरह

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा भावला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी बंकटलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर सबसे दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 कुन्जबिहारी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 0.9227 हैक्टैयर मध्य भाग व खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टैयर में से 0.6960 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 जालाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 0.9227 हैक्टैयर उतरी भाग व खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टैयर में से 0.6960 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 1.3921 हैक्टैयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 274/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/................
बंकटलाल बनाम् राधेश्याम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 274/2021

वादीगण–

1. बंकटलाल पुत्र राधेश्याम, जाति–ब्राहमण, निवासी– भावला, तहसील जायल,नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. राधेश्याम पुत्र मूलाराम
2. कुन्जबिहारी पुत्र राधेश्याम
3. जालाराम पुत्र राधेश्याम
4. सुशीला पुत्री राधेश्याम
5. रामकंवरी पुत्री राधेश्याम, जातियान–ब्राहमण, निवासीगण–भावला, तहसील जायल।
6. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 6 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा भावला तहसील जायल में खेत खसरा नं. 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टेयर, खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बंकटलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 1.6187 हैक्टैयर सबसे दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 2 कुन्जबिहारी के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टैयर में से 0.9227 हैक्टैयर मध्य भाग व खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टैयर में से 0.6960 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

27/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 274/2021
जीसीएमएस नंबर–2021/..............
बंकटलाल बनाम् राधेश्याम वगैरह

3. प्रतिवादी संख्या 3 जालाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 0.9227 हैक्टैयर उतरी भाग व खसरा नंबर 264 रकबा 1.3921 हैक्टैयर में से 0.6960 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा भावला का खेत खसरा नंबर 266/389 रकबा 4.8562 हैक्टेयर में से 1.3921 हैक्टैयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 723/718 रकबा 0.1943 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
			मिजान		
मिजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/22
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)